

बिहार सरकार सहकारिता विभाग

संकल्प

1/निज(विधि-12)निर्वाचन-10/2024

विषय :- जिला/जिला समूह/प्रमण्डल स्तरीय मत्स्यजीवी सहकारी संघ एवं राज्य स्तरीय मत्स्यजीवी सहकारी परिसंघ के गठन की स्वीकृति के संबंध में।

1. मत्स्यजीवी सहकारी समितियों के माध्यम से समाज के पिछड़े एवं वंचित वर्ग को संगठित कर राज्य स्तर तक मजबूत संरचना विकसित करने के उद्देश्य से जिला/जिला समूह/प्रमण्डल स्तरीय मत्स्यजीवी सहकारी संघ एवं राज्य स्तरीय मत्स्यजीवी सहकारी परिसंघ के गठन का निर्णय लिया गया है।
2. प्रमण्डल स्तर पर प्राथमिक मत्स्यजीवी सहकारी समितियों को सदस्य के रूप में शामिल कर जिला/जिला समूह/प्रमण्डल स्तरीय मत्स्यजीवी सहकारी संघों एवं सभी मत्स्यजीवी सहकारी संघों को सदस्य के रूप में शामिल कर राज्य स्तरीय मत्स्यजीवी सहकारी परिसंघ का गठन किया जायेगा।
3. मत्स्यजीवी सहकारी संघ एवं परिसंघ का मुख्य उद्देश्य मात्स्यिकी के क्षेत्र में मत्स्यपालन एवं इससे जुड़ी गतिविधियों तथा अन्य जलीय उत्पादों के उत्पादन को बढ़ावा देने हेतु स्वयं अथवा सदस्य प्राथमिक समितियों/संघों के सहयोग से संवर्द्धन का कार्य करेगी।
4. संघ एवं परिसंघ के गठन से राज्य की सहकारी मत्स्यजीवी संरचना, कार्य प्रणाली, मत्स्य पालन एवं जलीय कृषि संसाधनों के विकास और प्रभावी प्रबंधन को बढ़ावा मिलने के साथ समितियों को मत्स्य पालन हेतु उन्नत इन्पुट, मत्स्य बीज, मत्स्य आहार, दवा इत्यादि ससमय उपलब्ध होगा और मार्केटिंग तथा प्रोसेसिंग की व्यवस्था मजबूत होगी।
5. मत्स्यजीवी सहकारी संघ की उपविधि में वर्णित प्रावधान के आलोक में संघ के निदेशक मंडल में प्रबंध निदेशक तथा एक निदेशक 'डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग' द्वारा नामित किया जायेगा।

मत्स्यजीवी सहकारी परिसंघ की उपविधि में वर्णित प्रावधान के आलोक में परिसंघ के निदेशक मण्डल में सचिव/प्रधान सचिव/अपर मुख्य सचिव 'डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग' पदेन अध्यक्ष होंगे। प्रबंध निदेशक के पद पर निदेशक मत्स्य को तथा एक निदेशक जिन्हें व्यवसाय से संबंधित विपणन और प्रसारण में विशेषज्ञता प्राप्त हो, को डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग द्वारा नामित किया जाएगा।

6. संघ के निदेशक मंडल में अध्यक्ष का एकल पद अनारक्षित होगा। संघ के निदेशक मंडल में दो नामित सदस्यों को छोड़कर अध्यक्ष सहित कुल 13 पद निर्वाचन से भरे जायेंगे।

7. संघ एवं परिसंघ के अन्य प्रावधानों के संघ में कालान्तर में अथवा अन्यथा आवश्यकतानुसार बिहार सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1935 के प्रावधान के आलोक में संशोधन किया जा सकेगा।
8. उपर्युक्त आलोक में जिला/जिला समूह/प्रमण्डल स्तरीय मत्स्यजीवी सहकारी संघ एवं राज्य स्तरीय मत्स्यजीवी सहकारी परिसंघ के गठन की स्वीकृति प्रदान की जाती है। संघ एवं परिसंघ की उपविधियाँ अनुलग्नक 01 एवं 02 के रूप में संलग्न हैं।
9. राज्य मन्त्रिपरिषद् की बैठक दिनांक 19.08.2026 में मद संख्या-12 के रूप में (संविका सं०-07/नि०(विधि-12)विविध-10/2024, पृष्ठ 113/टि०) स्वीकृति प्रदान की गयी है।
10. यह संकल्प तत्काल प्रभाव से राज्य में प्रभावी समझा जायेगा।

आदेश :- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के आगामी असाधारण अंक में सर्वसाधारण के सूचनार्थ प्रकाशित किया जाय।

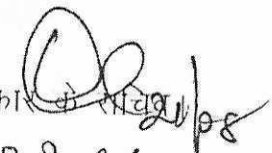
बिहार राज्यपाल के आदेश से,


(धर्मन्द्र सिंह)

सरकार के सचिव।

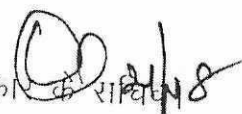
ज्ञापांक 8705 / पटना, दिनांक 21.08.2026
7/नि०(विधि-12)विविध-10/2024

प्रतिलिपि:- महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।


सरकार के सचिव।

ज्ञापांक 8705 / पटना, दिनांक 21.08.2026
7/नि०(विधि-12)विविध-10/2024

प्रतिलिपि:- मुख्य सचिव, बिहार, पटना/विकास आयुक्त, बिहार, पटना/अपर मुख्य सचिव, मन्त्रिमंडल सचिवालय विभाग, बिहार, पटना/अपर मुख्य सचिव, योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/सचिव, डेयरी, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, बिहार, पटना/निदेशक, मत्स्य, बिहार, पटना/सचिव, वित्त विभाग, बिहार, पटना/सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/राभी जिला पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


सरकार के सचिव।

ज्ञापांक 8705 / पटना, दिनांक 21.08.2026
7/नि०(विधि-12)विविध-10/2024

प्रतिलिपि:- माननीय मंत्री, सहकारिता विभाग के सचिव/सचिव, सहकारिता विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

बैंक लि., पटना/सभी जिला सहकारिता पदाधिकारी/सभी सहायक निबंधक, सहयोग समितियाँ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


सरकार के सचिव।

ज्ञापांक 8705. / पटना, दिनांक 21.08.2026
7/नि०(विधि-12)विविध-10/2024

प्रतिलिपि:- अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजार बाग, पटना/उप सचिव (ई-गजट कोषांग) वित्त विभाग, बिहार, पटना को संकल्प की सी.डी. एवं दो हार्ड कॉपी के साथ बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि 20 मुद्रित प्रतियाँ विभाग को उपलब्ध कराने का कृपा करेंगे। आई.टी. मैनेजर, सहकारिता विभाग, बिहार पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


सरकार के सचिव।

बिहार सरकार
सहकारिता विभाग

गोपनीय

मंत्रिपरिषद् के विचारार्थ संलेख

विषय:— जिला/जिला समूह/प्रमण्डल स्तरीय मत्स्यजीवी सहकारी संघ एवं राज्य स्तरीय मत्स्यजीवी सहकारी परिसंघ के गठन की स्वीकृति के संबंध में।

1. मत्स्यजीवी सहकारी समितियों के माध्यम से समाज के पिछड़े एवं वंचित वर्ग को संगठित कर राज्य स्तर तक मजबूत संरचना विकसित करने के उद्देश्य से जिला/जिला समूह/प्रमण्डल स्तरीय मत्स्यजीवी सहकारी संघ एवं राज्य स्तरीय मत्स्यजीवी सहकारी परिसंघ का गठन किया जाना है।
2. प्रखण्ड स्तर पर प्राथमिक मत्स्यजीवी सहकारी समितियाँ पूर्व से गठित हैं, किन्तु इनकी सम्बद्धक समितियाँ (Affiliating Societies) गठित नहीं हैं। अतएव प्रखण्ड स्तरीय “प्राथमिक मत्स्यजीवी सहकारी समितियों” को सदस्य के रूप में शामिल कर जिला/जिला समूह/प्रमण्डल स्तरीय मत्स्यजीवी सहकारी संघों एवं सभी मत्स्यजीवी सहकारी संघों को सदस्य के रूप में शामिल कर राज्य स्तरीय मत्स्यजीवी सहकारी परिसंघ का गठन किया जाना है। इसके गठन से सहकारी मत्स्यजीवी संरचना, कार्य प्रणाली एवं प्रबंधन को अधिक संगठित, प्रभावी एवं सुव्यवस्थित बनाया जा सकेगा।

संघ एवं परिसंघ के गठन से राज्य की सहकारी मत्स्यजीवी संरचना, कार्य प्रणाली, मत्स्य पालन एवं जलीय कृषि संसाधनों के विकास और प्रभावी प्रबंधन को बढ़ावा मिलेगा। साथ ही, समितियों को उन्नत इनपुट ससमय उपलब्ध होगा एवं मार्केटिंग तथा प्रोसेसिंग की व्यवस्था मजबूत की जा सकेगी।

3. मत्स्यजीवी सहकारी संघ एवं परिसंघ का मुख्य उद्देश्य मात्स्यिकी के क्षेत्र में मत्स्यपालन एवं इससे जुड़ी गतिविधियों तथा अन्य जलीय उत्पादों के उत्पादन को बढ़ावा देना है। संघ एवं परिसंघ सहकारिता के माध्यम से मत्स्यपालन एवं मत्स्यिकी के क्षेत्र में मजबूत संरचना विकसित करने के उद्देश्य से जिला/जिला समूह/प्रमण्डल स्तरीय मत्स्यजीवी सहकारी संघ एवं राज्य स्तरीय मत्स्यजीवी सहकारी परिसंघ का गठन किया जाना है। इसके गठन से सहकारी मत्स्यजीवी संरचना, कार्य प्रणाली एवं प्रबंधन को अधिक संगठित, प्रभावी एवं सुव्यवस्थित बनाया जा सकेगा।

बढ़ावा देने हेतु स्वयं अथवा सदस्य प्राथमिक समितियों/संघों के सहयोग से संवर्द्धन का कार्य करेगी। इनके द्वारा मत्स्य पालन हेतु उच्च गुणवत्ता के इनपुट, मत्स्य बीज, मत्स्य आहार, दवा इत्यादि की भी व्यवस्था की जायेगी।

4. संघ एवं परिसंघ की उपविधियाँ तैयार कर विधि विभाग से विधिक्षा कराई गई है। तैयार की गई उपविधियों में संघ एवं परिसंघ के उद्देश्य, स्वरूप, दायित्व एवं अन्य प्रावधान वर्णित हैं। संघ एवं परिसंघ की उपविधियाँ हिन्दी में क्रमशः अनुलग्नक-01 एवं 02 के रूप में संलग्न हैं।
5. बिहार सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1935 के प्रावधानानुसार सहकारी समिति के प्रबंधन का दायित्व निदेशक मण्डल में निहित है। अधिनियम की धारा-14(2) के आलोक में केन्द्रीय सहकारी समितियों (संघ) के निदेशक मण्डल में अधिकतम 15 एवं शीर्ष सहकारी समिति (परिसंघ) के निदेशक मण्डल में अधिकतम 17 सदस्यों की संख्या निर्धारित है। अधिनियम की धारा-14(4)(क) के प्रावधानानुसार सहकारी समिति के निदेशक मंडल में राज्य सरकार पदधारक सहित कुल 03 व्यक्तियों के नाम निर्देशित कर सकती है।
6. बिहार सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1935 के उपरोक्त वर्णित प्रावधान के आलोक में संघ के निदेशक मण्डल में प्रबंध निदेशक के रूप में परिक्षेत्र के 'उप मत्स्य निदेशक' तथा एक निदेशक 'डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग' द्वारा नामांकित किए जायेंगे।

परिसंघ के निदेशक मण्डल में अध्यक्ष के पद पर सचिव/प्रधान सचिव/अपर मुख्य सचिव 'डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग', प्रबंध निदेशक के पद पर 'निदेशक मत्स्य' को डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग द्वारा नियुक्त किया जायेगा तथा एक व्यक्ति जिन्हें व्यवसाय, प्रसंस्करण एवं विपणन में विशेषज्ञता हो, निदेशक के पद पर 'डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग' द्वारा नामित किया जाएगा।

7. संघ के निदेशक मंडल में अध्यक्ष का एकल पद अनारक्षित होगा। संघ के निदेशक मण्डल में दो नामित सदस्यों को छोड़कर अध्यक्ष सहित कुल 13 पद निर्वाचन से भरे जायेंगे। परिसंघ के निदेशक मण्डल में तीन नामित सदस्यों को छोड़कर शेष 14 पद निर्वाचन से भरे जायेंगे।
8. संघ एवं परिसंघ के अन्य प्रावधानों के संबंध में कालान्तर में अथवा अन्यथा यथा आवश्यकतानुसार बिहार सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1935 के प्रावधान के आलोक में संशोधन किया जा सकेगा।
9. प्रस्ताव:—जिला/जिला समूह/प्रमण्डल स्तरीय मत्स्यजीवी सहकारी संघ एवं राज्य स्तरीय मत्स्यजीवी सहकारी परिसंघ के गठन की स्वीकृति का प्रस्ताव है।
10. संघ एवं परिसंघ की उपविधि की विधिक्षा विधि विभाग द्वारा कराई गई है।
11. प्रस्ताव एवं संलेख प्रारूप पर 'डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग' का अनुमोदन प्राप्त है।
12. संलेख प्रारूप पर विभागीय मंत्री का अनुमोदन प्राप्त है।
13. उपर्युक्त कंडिका-9 में निहित प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद् की स्वीकृति प्रार्थित है।


(धर्मेन्द्र सिंह)

सरकार के सचिव।

ज्ञापांक 8572 / पटना, दिनांक 19.08.2024

07/नि०(विधि-12) विविध-10/2024

प्रतिलिपि:—मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, बिहार, पटना को 70 अतिरिक्त प्रतियों के साथ मंत्रिपरिषद् की बैठक में सम्मिलित करने हेतु अग्रसारित।


सरकार के सचिव।
~w